

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
**—:कार्यालय आदेश:—**

का0आ0सं0-01/निर्वा0-07-01/2014...../पटना, दिनांक—

आगामी लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन कार्य हेतु अधिगृहित किये जाने वाले विभिन्न कोटि के वाहनों के लिए मुआवजा राशि के आकलन हेतु एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार— अध्यक्ष
2. अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना ---- सदस्य
3. उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना ---- सदस्य
4. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ---- सदस्य
5. मोटरयान निरीक्षक (मुख्यालय), परिवहन विभाग,---- सदस्य  
बिहार, पटना
6. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के कार्यपालक  
अभियंता स्तर के एक तकनीकी पदाधिकारी ---- सदस्य

2. समिति राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कोटि के वाहनों के परिचालन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य हेतु अधिगृहित विभिन्न कोटि के वाहनों के मुआवजा राशि का अलग-अलग आकलन कर अपनी अनुशंसा दिनांक-24.07.2018 तक समर्पित करेगी।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19/7/18

ज्ञापांक-

4603

1. प्रतिलिपि—समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि— प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि वे निगम के कार्यपालक अभियंता स्तर के एक तकनीकी पदाधिकारी को समिति में नामित करने का कष्ट करेंगे।

ke/8/17

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।